न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 232 सन 2019

अनवान :–

1. हरदत पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. निहालसिह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर ।
3. पंजाब नैशनल बैक शाखा परलीका तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

4. सुहाणाराम 5 कृष्ण 6 हवासिह 7 लिलु 8 शिशपाल पुत्रान उदमीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

9. छत्रपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

10. भूपसिह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18|02|2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 की कुल 5.1785हैक्ट भूमि में से वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की 134 हिस्सा , वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 की 134 हिस्सा , वादी संख्या 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 का 129 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी बेयनामा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 07.07.1982 को स्वीकृत किया गया नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन सही तौर से किया जाकर खातेदारों का खाता अलग अलग दर्ज कर दिया गया लेकीन जमाबन्दी तैयार करते समय पुनः खातेदारों का खाता राजस्व रिकार्ड में सयुक्त तौर से दर्ज कर दिया जिससे खातेदारों के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने वाद की मद संख्या 3 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादीगण का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में सही तौर अलग अलग किया गया था किन्तु जमाबन्दी बनाते समय खाता सहवन से पूनः सयुक्त तोर से दर्ज किया गया है जिसे पुन वाद की मद संख्या 3 के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद की मद संख्या 3 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने निवेदन किया की उनके द्वारा जरिये बेयनामा भूमि खरीद की गई जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु नामान्तकरण सही तोर से दर्ज किया जाकर खाता व लगान वादी व प्रतिवादीगण का अलग अलग दर्ज किया गया था किन्तु जमाबन्दी बनाते समय पुनः सयुक्त खाता कर दिया वाद की मद संख्या 3 के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 की कुल 5.1785हैक भूमि में से वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की 134 हिस्सा, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 की 134 हिस्सा, वादी संख्या 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 का 129 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी बेयनामा के अनुसार नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 07.07.1982 को स्वीकृत किया गया नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन सही तौर से किया जाकर खातेदारों का खाता अलग अलग दर्ज कर दिया गया लेकीन जमाबन्दी तेयार करते समय पुनः खातेदारों का खाता राजस्व रिकार्ड में सयुक्त तौर से दर्ज कर दिया जिससे खातेदारों के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने वाद की मद संख्या 3 के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 की कुल 5.1785हैक भूमि में से वादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 की 134 हिस्सा, वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 की 134 हिस्सा, वादी संख्या 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 का 129 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने वाद भूमि जरिये बेयनामा खरीदी की गई थी बैयनामों के अनुसार नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 7.7.1982 को स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का खाता व लगान अलग अलग दर्ज है किन्तु जमाबन्दी तेयार करते समय पुनः वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सयुक्त तौर से दर्ज कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
अनूपगढ़

वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 सयुक्त खाते में दर्ज है वादीगण का कथन है कि वह वाद की मद संख्या 3 के अनुसार पुनः खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में वाद की मद संख्या 3 के अनुसार दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया है।

कोई भी मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादीगण का तो खाता पूर्व में ही अलग अलग स्वीकृत हो गया था सहवन से पुनः सयुक्त खाता में दर्ज हुआ है जिसे वादीगण पुनः खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 की कुल 5.1785 हैक भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/405(3) के किला न0 15 की 15बिश्वा , 16 की 07 बिश्वा, प0न0 358/406(12) के किला न0 11 की 15 बिश्वा , 12 की 8 बिश्वा , 19 की 1 बीधा , 20 की 14 बिश्वा , 21 की 15 बिश्वा ,22 की 1 बीधा , 23 की 1 बीधा , कुल 6.14 बीधा भूमि रहेगी एव वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/405(3) के किला न0 16 की 7 बिश्वा , 25 की 15 बिश्वा , प0न0 359/406(12) के किला न0 1 की 12 बिश्वा , 2 की 17 बिश्वा , 3 की 17 बिश्वा ,8 की 1 बीधा 9 की 1 बीधा , 10 की 14 बिश्वा , 12 की 12 बिश्वा कुल 6.14 बीधा भूमि रहेगी तथा वादी सख्या 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 के पास रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/406(13) के किला न0 5 की 9 बिश्वा , 6 की 13 बिश्वा , 14 की 1 बीधा , 15 की 12 बिश्वा , 16 की 13 बिश्वा , 17 की 1 बीधा , 24 की 1 बीधा , 25 की 12 बिश्वा , कुल 5.19 बीधा व प0न0 0 मु0न0 82/3 के किला न0 0 की 0.1265हैक गै.मु.खाला रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरदत पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामेश्वर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. निहालसिह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर ।
3. पंजाब नैशनल बैक शाखा परलीका तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

4. सुहाणाराम 5 कृष्ण 6 हवासिह 7 लिलु 8 शिशपाल पुत्रान उदमीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. छत्रपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
10. भूपसिह पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 232 सन 2019 निर्णय दिनांक– 18/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक **२** आरएमएस के खाता संख्या 158/142 की कुल 5.1785 हैक भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/405(3) के किला न0 15 की 15बिश्वा , 16 की 07 बिश्वा, प0न0 358/406(12) के किला न0 11 की 15 बिश्वा , 12 की 8 बिश्वा , 19 की 1 बीधा , 20 की 14 बिश्वा , 21 की 15 बिश्वा ,22 की 1 बीधा , 23 की 1 बीधा , कुल 6.14 बीधा भूमि रहेगी एव वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 के पास रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/405(3) के किला न0 16 की 7 बिश्वा , 25 की 15 बिश्वा , प0न0 359/406(12) के किला न0 1 की 12 बिश्वा , 2 की 17 बिश्वा , 3 की 17 बिश्वा ,8 की 1 बीधा 9 की 1 बीधा , 10 की 14 बिश्वा , 12 की 12 बिश्वा कुल 6.14 बीधा भूमि रहेगी तथा वादी सख्या 3 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 10 के पास रोही मौजा चक 2 आरएमएस के खाता संख्या 158/142 के प0न0 358/406(13) के किला न0 5 की 9 बिश्वा , 6 की 13 बिश्वा , 14 की 1 बीधा , 15 की 12 बिश्वा , 16 की 13 बिश्वा , 17 की 1 बीधा , 24 की 1 बीधा , 25 की 12 बिश्वा , कुल 5.19 बीधा व प0न0 0 मु0न0 82/3 के किला न0 0 की 0.1265हैक गै.मु.खाला रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)